



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

संख्या पत्र- II

क्रमांक एफ 4 () आकाशि/नि.स./2022/ 970

दिनांक:- 4.4.2023

सचिव/ प्राचार्य
समस्त निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय:- महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना उपलब्ध करवाने बाबत ।

संदर्भ:- समसंख्यक आदेश क्रमांक 960 दिनांक 24.02.2023, व
966 दिनांक 16.03.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश अनुसार द्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना उपलब्ध करवाने की अन्तिम तिथि बढ़ाकर 17.04.2023 की जाती है। ध्यान रहे उक्त सूचना राज्य के निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के नामांकन को एकजाई कर विभिन्न नीतिगत निर्णयों के लिए अति आवश्यक है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित Excell sheet में भरकर jdpi.statcce@gmail.com पर निर्धारित तिथि तक प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निजी महाविद्यालयों द्वारा सूचना अद्यतन नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों को दूरभाष पर सूचित कर विद्यार्थियों की सूचना भरवाकर प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)

Signature valid

Digitally signed by Dr. Hemant
Pareek
Designation : Associate Professor
Date: 2023.04.04 13:27:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3542255

